न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 114 / 2022

1 शेलेन्द्र सिंह उम्र 27 साल
2 रजत उम्र 24 साल पुत्रगण श्री रामनाथ सिंह समस्त जाति मेघवाल निवासीगण ढाका की ढाणी तन टौंकछिलरी गिरदावर हल्का चिराणा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज. मो. नम्बर 9672595545

अपीलांटस

बनाम

1 नाराणा पुत्र श्री माला उम्र 90 साल
2 रामनाथ सिंह उम्र 58 साल
3 गिरधारी उम्र 62 पुत्रगण श्री नाराणा
4 संतोष उम्र 55 साल
5 कमला उम्र 53 साल पुत्रिया नाराणा समस्त जाति मेघवाल निवासीगण ढाका की ढाणी तन टौंकछिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
6 उप पंजीयक महोदय तहसील कार्यालय नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
7 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.
।

रेस्पोडेन्टस

अपील बैय खिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर नवलगढ़ दावा उनवानी शेलेन्द्र वगै. बनाम नाराणा वगै. मु.नं. 07 / 2021 आदेश दिनांक 26.04.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री अनिल महरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार मीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 13/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 07/2021 में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलान्टस ने ग्राम टोंक ढाका की ढाणी तन टोंक छिल्लरी की भूमि खसरा नम्बर 1282/250, 153, 247, 248, 249, 252, 253, 514 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.03.2021 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की। इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय में आदेश 39 नियम 4 का ऐतराज किया। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर आदेश 39 नियम 4 की पालना नहीं होने पर दिनांक 26.04.2022 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 09.03.2021 को वैकेट कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण द्वारा आदेश 39 नियम 4 एवं आदेश 39 नियम 3 की पालना के संदर्भ में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीपीसी में आदेश 39 नियम 4 की पालना के संदर्भ में आज्ञापक प्रावधान नहीं है। विचारण न्यायालय को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के उपरांत उभयपक्ष को सुनकर धारा 212 का अंतिम निस्तारण किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने अंतिम निस्तारण नहीं कर अंतरिम आदेश को विचाराधीन निर्णय से वैकेट कर विधिक त्रुटि की है। अतः

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील स्वीकार कर स्थगन यथावत रखते हुए प्रकरण 212 के निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2021 को एकपक्षीय रूप से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। दिनांक 26.04.2022 तक अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस नहीं भिजवाये गये है न ही अपीलान्ट द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश वैकेट करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2021 को एकपक्षीय रूप से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। दिनांक 26.04.2022 तक अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस नहीं भिजवाये गये है न ही अपीलान्ट द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश वैकेट करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

यहां यह भी विचारणीय है कि प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। पक्षकारों के मध्य धारा 212 के आवेदन का अंतिम निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर विचाराधीन निर्णय हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

निर्णय आज दिनांक 13/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

13/2/25
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)